I/ /25.ई.78680

प्रेषक,

अपूर्वा पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक नवम्बर, 2025**

विषय :– अल्मोड़ा नगरीय पम्पिंग पेयजल योजनाओं में ऊर्जा दक्ष सेंट्रीफ्यूगल पम्प सैट की आपूर्ति और स्थापना की योजना की अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 5062/वि0अनु0/02/शा0अनु0/2025–26 दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0 I/254851/2024 दिनांक 21 नवम्बर, 2024 द्वारा स्वीकृत अल्मोड़ा नगरीय पम्पिंग पेयजल योजनाओं में ऊर्जा दक्ष सेंट्रीफ्यूगल पम्प सैट की आपूर्ति और स्थापना की योजना लागत ₹ 498.79 लाख के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि ₹ 311.21 लाख को कम करते हुए अवशेष धनराशि ₹ 187.58 लाख (₹ एक करोड सत्तासी लाख अठठावन हजार मात्र) धनराशि व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से संबंधित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार, उत्तराखण्ड को धनराशि के आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही कोषागार से किया जायेगा।

(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iv) योजनावार/कार्यवार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रत्येक योजना का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(v) स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनावार आवंटन एवं व्यय योजना की अनुमोदित लागत की सीमा तक ही किया जाए। योजना की अनुमोदित लागत से अधिक आवंटन कदापि न किया जाए।

(vi) उक्तानुसार चालू योजना पर धनावंटन/व्यय करने के निमित्त योजना की स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेश में विहित अन्य समस्त शर्तें यथालागू का अनुपानल सुनिश्चित किया जाए।

(x) उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनअुल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जलपूर्ति–102–शहरी जल पूर्ति–08–पम्पिंग पेयजल योजनाओं में ऊर्जा दक्ष पम्प की स्थापना–00–55–पूंजीगत परिसम्पत्तिओं का सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3. प्रश्नगत धनराशि, आहरण वितरण अधिकारी को संलग्न कम्प्यूटर आवंटन आई0डी0 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)2025 दिनांक 31.03.2025 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग के दिशा–निर्देश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)2025 दिनांक 31.03.2025 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

Digitally signed by
Apurva Pandey
Date: 17-11-2025
22:10:28

(अपूर्वा पाण्डेय)
अपर सचिव।

पृ0सं0–78680(1)/2025, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Digitally signed by
Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 18-11-2025
11:39:34

(डी0एम0एस0राणा)
संयुक्त सचिव।